

सेवार्थे.

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौडगढ(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम रांशोधन के संबन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री राम सिंह पिता/पति श्री राम सिंह

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री राम सिंह  
पिता/पति राम सिंह निवासी धरियावाली का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का रेताल के राजस्व ग्राम बारीबाड़ी में खाता संख्या  
77 किता 4 एकवा 130 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी  
पिता का जमिनी/नाम/जिम्न राम सिंह दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में राम सिंह  
दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जति/नाम राम सिंह के बजाय राम सिंह दर्ज  
करवाने की कृपा करावे।

दिनांक / /2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

राम सिंह

रिपोर्ट पटवारी हल्का रेताल

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राम सिंह पिता/पति राम सिंह  
निवासी धरियावाली राजस्व ग्राम बारीबाड़ी पटवार हल्का रेताल  
की जमावन्दी प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्न के रूप में राम सिंह के बजाय  
राम सिंह दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियों एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही  
व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः रांशोधन किया जाना उचित है।

[Signature]  
हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू-जानि

[Signature]  
हस्ताक्षर भू-जानि  
राम सिंह  
उदपुरा

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:- / /2025

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

नियेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राजसिंह पिता/पत्नि मानसिंह निवासी.....  
धर्म भोजपुरी पटवार हल्का देराल के राजस्व ग्राम पहरी बावडी में जमाबन्दी रांवल 2078-81 की  
खाता संख्या 77 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन मंगीलाल  
के वजाप मानसिंह किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन मानसिंह का अंकन  
राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं  
होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार  
चित्तौडगढ  
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/

1084

दिनांक 30 // 2025

निमित्त,

पटवार हल्का देराल

विषय- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री राजसिंह पिता/पत्नि मानसिंह राजस्व  
ग्राम पहरी बावडी पटवार हल्का देराल की खाता संख्या 77 में जाति/नाम/जिम्मन मंगीलाल  
दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है।  
तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम/जिम्मन सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री राजसिंह पिता/पत्नि मानसिंह की जाति/नाम/जिम्मन  
मानसिंह एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है।  
पटवार हल्का देराल राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार सा.  
तहसील चित्तौड़गढ़

✓  
Lohar  
30/10/25

विषय :- प्रार्थी रामसिंह के पिता का नाम मानसिंह  
कराने वावत.

महोदय! -

प्रार्थी ने ग्राम खरडीवाबडी प. नं. ६. सेराल  
में आ. नं. 151, 152, 153, 265/170 कित्त - 4 रकबा 1.30  
हेक्टर में पिता का नाम मंगीलाल के बजाय मानसिंह  
कराना चाहता है। प्रार्थी का पूर्व में खाला सज्जनबाई  
बेबा मंगीलाल के नाम दर्ज था। वर्तमान में रामसिंह  
पिता मंगीलाल दर्ज रिकार्ड है। मूल रूप से प्रार्थी  
रामसिंह धटियावली का निवासी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत  
आवासीय पट्टा, आधार कार्ड में रामसिंह के पिता का  
नाम मानसिंह है। ग्राम में पूछताछ अनुसार पिता का  
नाम मानसिंह बरामा गया। जबकि रिकार्ड में मंगीलाल  
दर्ज है।

रिपोर्ट उचित आदेशार्थ प्रेषित है।

सलामत ! - प्रार्थी मौका

अज्ञात नकल  
आधार कार्ड  
आवासीय पट्टा

Quena  
पट्टा धटियावली  
30/10/25

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौड़गढ़  
क्रमांक/भू.अ./2025 दिनांक. 30/10/25  
मूल ही प. नं. .... दे. नं. ....  
को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित है।

✓  
तहसीलदार (भू.अ.)  
चित्तौड़गढ़

# पर्चा मौका ग्राम धटियावली

प्राची रामसिंह पिता मानसिंह जाति रावल निवासी धटियावली ने ग्राम खरडीबावडी पट्टार हल्का रेखल में आ.न. 151, 152, 153 265/170 कित्ता-4 रकबा 1.30 हेक्टर में अपने पिता का नाम खाते में दर्ज मंगीलाल के बजाय मानसिंह करने वास्तु प्राधान्य पत्र धटियावली कैम्प में फेश किया प्राची ने बताया की उनकी माता सज्जनबाई के नाम खरडीबावडी में भूमि खेद खातेदारी में दर्ज थी जिसमें सज्जनबाई बेबा मंगीलाल रावल निवासी धटियावली गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्राची सज्जनबाई के पुत्र रामसिंह ने बताया की उनसे पिता का नाम मानसिंह है। लेकिन रिकार्ड में मंगीलाल दर्ज है जिसे ब्रह्म विद्या जाकर मानसिंह विद्या जावे। प्राची ने प्रस्तुत आधार कार्ड, एफए जाति प्रमाणपत्र व ग्राम धटियावली का आवासिय पट्टा देखा विद्या जिसमें नाम मानसिंह है ग्राम-धटियावली में मौतबिरानो से पूछताछ अनुसार पिता का नाम मानसिंह बताया गया। ग्राम खरडीबावडी की जमावदी सपत 2031 से 2034 में तथा वर्तमान जमावदी नकल में मंगीलाल दर्ज है प्राची मौका बनाया जाकर उपाधित मौतबिरानो से हस्ताक्षर लिये गये।

Chait Singh  
Bhoulage-Kheri

मंगीलाल

Omung  
धटियावली  
पट्टार 30/10/25

मंगीलाल

श्रीधरम

श्री विष्णु दा. V

शावतमडे

दीशालाल

जमाबन्दी  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

खता नाम :- खरडीवावडी  
पटवार हल्का :- ऐराल  
भू.अभि.ति. :- घटियावली  
तहसील :- चित्तौड़गढ़  
जिला :- चित्तौड़गढ़

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2078 ( वर्ष 2022 ) से स्थायी  
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार  
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर  
खाता संख्या नया :- 77  
खाता संख्या पुराना :- 70

काश्तकार का नाम:-

1. रामसिंह पुत्र मांगीलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- रावल सा. घटियावली खातेदार  
राहिन ( पूर्ण खाता ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Ghaliyawali,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
151	0.0900	नहरी 1	0.0900	1.62	186	स्वीकृत नामांतरकरण : 421 23/02/2023 रहननामा
152	0.0200	नहरी 1	0.0200	0.36	186	
153	0.8400	नहरी 1	0.8400	15.12	186	
265/170	0.1800	बंजड़	0.1800	0.18		
कुल खसरे - 4	1.1300		1.1300	17.2800		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 2-May-2024



15/05/2024  
पटवारी  
पटवार हल्का ऐराल  
तह.द जिला चित्तौड़गढ़